

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

ब्लाक नंबर 2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/3527

दिनांक 13.12.2012


आदेश

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/3037 दिनांक 19.10.2012 के अनुसार सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड एवं म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को 65% की दर से मंहगाई राहत देय है। इस तारतम्य में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 नवम्बर 2012 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जबसे देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.11.2012	पेंशन/परिवार पेंशन का 72%

2. मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा।
3. पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार


(व्ही.के. तिवारी)

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।


क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V./ 3528
प्रतिलिपि-

दिनांक 13.12.2012

- 1 अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.)/ (टी.एण्ड पी.)/ (योजना एवं ऊर्जा पद्धति)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/ (सिविल-ट्रांसमिशन)/ (सी.आर.ए. एण्ड आई.टी.-सी.एम.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.)/ (एच.आर.ए.)/ (एच.आर.एंड ए.), म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि./ म.प्र. मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/ भोपाल/ इंदौर।
4. कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर।
5. अतिरिक्त सचिव, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
6. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन स्टोर)/ (मा.सं.वि.सं.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
8. अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
9. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/ (संचार)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण)/ (उपकेन्द्र)/ (कर्मशाला)/ (400 के.व्ही. परीक्षण) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
10. उप निदेशक/संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
11. कल्याण अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
12. निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
13. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
14. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/ (के.ले.ई.)/ म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि./ म.प्र.पावर मैनेजमेंट/ जनरेटिंग कं.लि.,
15. लेखाधिकारी (केन्द्रीय वेतन कार्यालय), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
16. वेब मास्टर।

टीप :- सरल क्रं.3,4 एवं 5 के लिये।

-अनुरोध है, कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कृष्ट करें।


(अभय खरे)

कार्यपालन अभियंता

कार्या.-मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।